

अज अदालत
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

मील (2 मील) जे 21/2/24
 3 जे नो नो 21/2/24
 वि. मि. 21/2/24

बनाम

मोहराम ज. नेगराम के
 कानून, हुकाम

मुकदमा संख्या 53 /2024

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
---------------	--	---

21.05.2024

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की
 ओर से वकील श्री अमरनाथ सिंह अन्तर्गत
 धारा 212 राजस्थान 31/1/1952
 अधिनियम 1952 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज
 रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण
 /विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी
 करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/
 विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन
 से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट
 वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण/अपीलांट को
 विप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण /उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की
 दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उतरदाता
 की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30-5-2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
 SDO सिंगधरी

28.5.2024

~~मूल वाद के सख्त पणपणे द्वारा तलब
 की गयी
 कि मूल वाद बरिये राजीनामा विद्वा
 के विस्तारित से युक्त है रेगी स्थिति से
 इस कृषिगत को को-चालने का कोई
 कृषिगत गरीब नो सिद्ध है
 निराशा मूल वाद से तलब पर उतर
 कृषिगत को मूल वाद जरिये राजीनामा
 विद्वा के उचित स्थान पर है
 पणपणे केसल द्वारा कृषिगत दावेदार
 द्वारा है~~

सहायक कलक्टर
 SDO सिंगधरी